रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 859] नई दिल्ली सोमवार, अप्रैल 27, 2015/वैशाख 7, 1937
No. 859] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2015/VAISAKHA 7, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2015

का.आ. 1098(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम,1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

रा. रा. संख्या	सेक्शन	कि.मी. से कि.मी. तक का खण्ड	का.आ. संख्या	तारीख
47	तमिलनाडु/केरल सीमा से कोच्चि	332.600–349.000	का. आ. 465(अ)	26.04.2002
47	विटिला–अरूर	349.000–358.750	का. आ. 1291(अ)	11.11.2003

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्ड/स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 670(अ), तारीख 31.03.2011 द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के 342.000 कि.मी. से 358.750 कि.मी. इडापल्ली–विटिल्ला–अरूर सेक्शन तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" कहा गया है) चार लेन के खण्ड के उपयोग के लिए, नीचे सारणी–1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी–1 स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर, यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (भाराराप्रा की विशेष प्रयोजन कम्पनी के रूप में) को प्राधिकृत किया थाः

सारणी 1

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	प्रति एकतरफा यात्रा के लिए प्रति वाहन प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	0.70
3.	ट्रक, बस	1.40
4.	बहुधुरीय वाहन (2 धुरी से अधिक), अर्थ मूविंग उपस्कर अथवा भारी संनिर्माण मशीनरी	2.25

और यतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, मैसर्स कोचीन पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संबंधित एक विषेष प्रयोजन कम्पनी) ने 11.01.2013 को प्रस्तुत बोली के लिए मैसर्स कोच्चि टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड (रियायतग्राही) के साथ 03.05.2013 को एक करार किया था और तारीख 03.05.2013 के रियायत करार के प्रति एक अनुपूरक करार (त्रिपक्षीय करार) पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात् प्राधिकरण, द कोचीन पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड और मैसर्स कोच्चि टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड (सीपीटीएल) के बीच 28.11.2013 को हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें तारीख 03.05.2013 के रियायत करार को सभी अधिकारों और दायित्वों सहित, प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने की सीटीपीएल की सहमति की परिकल्पना की गई थी और बाद में 18.03.2014 को प्राधिकरण द्वारा मैसर्स कोच्चि टोलवेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ सीधे ही एक नए करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें 03.05.2013 के करार के प्रावधानों को शामिल किया गया और बाद में प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पहले का रारा–47) पर 342.000 कि.मी. से 358.750 कि.मी. तक इडापल्ली–विटिल्ला–अरूर सेक्शन के प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 28.11.2013 को अनुपूरक करार पर हस्ताक्षर किए गए और तारीख 17.06.2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1549(अ) द्वारा तथा तारीख 31.03.2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 670(अ) का अधिक्रमण करते हुए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 पर आधारित है और जो सा.का.नि. 838(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा जिसमें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, .2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011 द्वारा आगे और संशोधन किए गए थे, द्वारा प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत किया था।

और, यतः ओएमटी परियोजना का वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त नहीं किया जा सका और ओएमटी रियायत करार 10.07.2014 को समाप्त कर दिया गया और समाप्ति करार पर दिनांक 11.07.2014 को हस्ताक्षर कर दिए गए।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 जो 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा जिन्हें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 और सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014 और सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23, मार्च, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 670(अ),तारीख 31.03.2011 और का.आ. 1549(अ) तारीख 17.06.2014 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाए जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई है अथवा करने से लोप करा दी गई हैं, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि केरल़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पहले का रारा–47) 342.000 कि.मी. से 358.750 कि.मी. (इडापल्ली–विटिल्ला–अरूर सेक्शन) तक चार लेन के सेक्शन के उपयोग के लिए, नीचे सारणी–1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर, 15.113 कि.मी. की कुल लम्बाई वाली सड़क के लिए और संरचना की 16.372 कि.मी. समकक्ष लम्बाई के लिए (जिसमें 1.6372 कि.मी. संरचना की लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) सारणी–1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाएगा, और प्राधिकरण, अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है।

सारणी 2

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
रारा–66 (पहले का रारा–47) का 356.500 कि.मी. कोच्चि जिले में कुमबलम गांव के पास	15.113 (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं की लम्बाई को छोड़कर)	उपर्युक्त सारणी–2 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग के लिए, ऐसी संरचनाओं की लम्बाई का समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा।

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली *संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)
रारा–66 (पहले का रारा–47) का 356.500 कि.मी. कोच्चि जिले में कुमबलम गांव के पास	1.6372*	16.372

* 60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचना का ब्यौरा निम्नप्रकार है:–

क्रम संख्या		चैनेज		लम्बाई (मीटर)	अभ्युक्ति
	ब्यौरा	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	पोन्युरुधि आर ओ बी	347.582	347.822	360.000	एलएचएस
		347.472	347.952		आरएचएस
2	चम्बाकारा ब्रिज	349.848	349.927	79.100	एलएचएस और आर एच एस

3	माराडु नेट्टूर ब्रिज	352.328	352.407	79.100	एलएचएस और आर एच एस
4	कुमबलम पानुनगडु ब्रिज	355.331	355.546	216.000	एलएचएस और आर एच एस
5	कुमबलम अरूर ब्रिज	357.322	358.231	903.000	एलएचएस और आर एच एस
			कुल	1637.200	

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015–16 के लिए मासिक पास की दर 230.00 रूपए (दो सौ तीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग करने अथवा टोल प्लाजा पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए। यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेष कराने के लिए नियमों के अधीन टोल एजेंसी को ऐसी यांत्रिक श्रेणी के यांत्रिक वाहनों पर लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. यांत्रिक वाहनों से प्रभावित की जाने वाली प्रयोक्ता शुल्क की वास्तविक राषि में वृद्धि किसी हालत में ठीक पिछले वर्ष में लागू दरों के 25% से अधिक नहीं होगी।

10. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खण्ड की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा और तदनुसार, उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से'–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11.. परियोजना की पूंजीगत लागत (31.01.2011 की परियोजना के पूरा होने पर) 184.59 करोड़ रुपए है। 08.02.2015 की स्थिति अनुसार अभी तक वसूल की जाने वाली बकाया पूंजी लागत 160.92 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात्, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा / 13013 / 750 / सीओ / 13–14 / जीसी कोचीन (342.000–358.750)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2015

S.O. 1098(E).—Whereas, by notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the following stretches of National Highways in the state of Kerala to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

NH No.	Section	Stretch from km. to km.	S.O. No.	Dated
47	Tamil Nadu/ Kerala Border to Kochi	332.600–349.000	S.O. 465 (E)	26.04.2002
47	Vytila – Arror	349.000-358.750	S.O. 1291 (E)	11.11.2003

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highway/permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 670(E) dated 31.03.2011, had authorized M/s. Cochin Port Road Company Limited (as SPV of NHAI) for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of four-laned stretch from km. 342.000 to km. 358.750 (hereinafter referred to as the "said stretch") Edapally-Vytilla-Aroor section of National Highway Number 47 in the State of Kerala at the base rates specified in column (3) of the Table-1 below, on the category of vehicles specified in the column (2) of the said Table-1 below:

Table 1

S. No.	Category of Vehicles	Base rate of fee per km. per vehicle per one way trip (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Car Jeep Van	0.40
2.	Light Commercial Vehicle	0.70
3.	Truck, Bus	1.40
4.	Multi Axle Vehicle (>2 axles), Earth Moving Equipment or Heavy Construction Machinery	2.25

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), M/s Cochin Port Road Company Limited (a SPV promoted by the National Highway Authority of India) had entered into an agreement on 03.05.2013 with M/s. Cochi Tollways Private Limited (the Concessionaire) for the bid submitted on 11.01.2013 and a Supplementary Agreement (Tripartite Agreement) to the Concession Agreement dated 03.05.2013 was signed between National Highways Authority of India i.e. Authority, The Cochin Port Road Company Limited (CTPL) and M/s Cochi Tollways Private Limited on 28.11.2013 envisaging the consent of CTPL to transfer the Concession Agreement dated 03.05.2013 to Authority along with all rights and obligations and subsequently, a fresh agreement was signed directly between the Authority with M/s. Cochi Tollways Private Limited on 18.03.2014 incorporating the provisions of agreement dated 03.05.2013 and supplementary agreement dated 28.11.21013, for the Operation & Maintenance of Edapally –Vytilla - Aroor section from km 342.000 to km 358.750 on National Highway No. 66 (formerly as NH-47) in the state of Kerala on Operation, Maintenance and Transfer (OMT) basis and vide notification No. S.O. 1549(E) dated 17.06.2014 and in supersession of notification No. S.O. 670(E) dated 31.03.2011, based on National Highways Fee (Determination of Rates and Collection)

Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) and further amended *vide* G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R. 756(E) dated 12th October, 2011, authorized the Concessionaire to retain and collect the fee on and from the date of commercial operation declared by the Authority.

And whereas, the Commercial Operation of OMT project could not be achieved and OMT Concession Agreement was terminated on 10.07.2014 and a closeout agreement was signed on 11.07.2014.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published *vide* G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended *vide* G.S.R. 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R. 756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R. 778(E) dated 16th December, 2013, G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E) dated 21st November, 2014 & G.S.R. 220(E) dated 23rd March, 2015 (hereinafter referred to as the "said Rules") and in supersession of the notification number S.O. 670(E) dated 31.03.2011 and S.O. 1549(E) dated 17.06.2014 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby, notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four lane section from km. 342.000 to km. 358.750 (Edapally–Vytilla-Aroor Section) of National Highway No. 66 (formerly as NH-47) in the State of Kerala, at the base rates specified in column (2) of the Table 1 (hereinafter referred to as "base rate"), for net road length of 15.113 km. and for 16.372 km. equivalent length of structure (having 1.6372 km. of structure length of more than 60 m length,), on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee:-

Table 2

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza:

Location of Toll Plazas (chainage)	**Length (in km.) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
Km. 356.500 of NH-66 (formerly as NH-47), near village Kumbalam in Kochi District	15.113 (Excluding length of structures >60m)	100% of the base rates mentioned in Table-2 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	**Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km.)**
Km. 356.500 of NH-66 (formerly as NH-47), near village Kumbalam in Kochi District	1.6372*	16.372

* The details of structure having length > 60m is as under:-

S. No.		Chainage		Length (m)	Remarks
	Particulars	From Km.	To Km.		
1	Ponnurudhi ROB	347.582	347.822	360.000	LHS
		347.472	347.952		RHS
2	Chambakara Bridge	349.848	349.927	79.100	LHS & RHS
3	Maradu - Nettoor Bridge	352.328	352.407	79.100	LHS & RHS
4	Kumbalam - Panangadu Bridge	355.331	355.546	216.000	LHS & RHS
5	Kumbalam - Aroor Bridge	357.322	358.231	903.000	LHS & RHS
			Total	**1637.200**	

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred Thirty only) for the year 2015-16, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the Toll Plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to

IndiaCode

the Toll Collecting agency, equal to 10 times of the fee applicable to such category of mechanical vehicles under the rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

9. The increase in the actual amount of user fee to be charged from the mechanical vehicles shall in no case be more than 25% of the fee applicable in the immediately preceding year.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The Capital Cost of the Project (as on completion of project on 31.01.2011) is Rs. 184.59 Crore. The balance Capital cost yet to be recovered as on 08.02.2015 is Rs. 160.92 Cr. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/750/CO/13-14/GC Cochin (342.000-358.750)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.